सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 335
19/3/2010

पटना में वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित

पटना, 19 मार्च :: जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार, पटना शहरी क्षेंत्र में बढ़ते सांघातिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर फुलवारी खगौल रोड से न्यू बाईपास, पुराना बाईपास, जीरोमाईल एवं सगुना मोड़ से बेली रोड, बोरिंग रोड, दीघा रोड, अशोक राजपथ एवं शहरी क्षेत्र के सभी सम्पर्क पथ में चलने वाले स्कूल बस, नगर सेवा की बसों , सूमो, बोलेरो, मोटरसाईकिल, जीप, टेम्पो एवं अन्य वाहनों की गति 20 कि0मी0 प्रति घंटा प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है। निर्धारित गति सीमा को बरकरार रखते हुए वाहन चालक अपने वाहन पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। नियंत्रित गति से वाहन नहीं चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

––––––––